न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

रण संख्या: 05/2020

प्रार्थीगण

1 अर्जुनराम पुत्र जोईताराम
2 भीमाराम पुत्र जोईताराम
जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना
2 अमरसिंह पुत्र हड़मानजी
3 कल्याणसिंह पुत्र हड़मानजी
4 तुलसी देवी पत्नि हड़मानजी
5 भंवरसिंह पुत्र हड़मानजी
6 विशनसिंह पुत्र हड़मानजी
7 जैसाराम पुत्र भोपाजी
8 जीवाराम पुत्र मादाराम
9 सामाराम पुत्र मादाराम
जाति पुरोहित निवासीयान इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बाडमेर

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128</u>
<u>राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 21.12.2020

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री महेन्द्रसिंह सोढा की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071–2074 सरहद मौजा इन्द्राणा पटवार मण्डल इन्द्राणा तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 859 रकबा 02.1206 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 860 रकबा 01.3840 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृति... लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ौसी ... हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी ... की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.01.09 17:18:01 IST
Reason: SelfAttested

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना को आदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा इन्द्राणा पटवार मण्डल इन्द्राणा तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 859 रकबा 02.1206 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 860 रकबा 01.3840 भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार सिवाना को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार सिवाना बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 21.12.2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

उपखण्ड अधिकारी (SDM) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.01.09 17:18:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांकः वाद/2020/5570 दिनांक : 21.12.2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
अर्जुनराम		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं:– 05/2020 निर्णय दिनांक :–....21.12.2020

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम.....इन्द्राणा.... के खेत खसरा नम्बर 859 रकबा 02.1206 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 860 रकबा 01.3840 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार..... सिवाना...... को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये 500/– प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांकः वाद/2020/5571–75 दिनांक : 21.12.2020
प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार ....सिवाना...............
2. थानाधिकारी......सिवाना...............
3. हल्का पटवारी....इन्द्राणा.............. को मय रिकार्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी......अर्जुनराम पुत्र जोईताराम
5. विप्रार्थी..राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना.....

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.01.09 17:18:01 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)